

Rolling Advt. No.05-01
रोलिंग विज्ञापन संख्या-05-01
Website Ref. RollingAdvtNo0501_02

परियोजना शीर्षक:- 'फेनोम इंडिया सीएसआईआर-हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस'

परियोजना कोड: एचसीपी-047

पद: प्रोजेक्ट एसोसिएट -I = 01

अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञानों में स्नातकोत्तर/ एमवीएससी अथवा इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष और

वांछनीय:- पायथन/सी/सी++ एवं एडबल्यूके और आर में प्रमाणित कौशल, एलआईएनयूएक्स पर्यावरण, सिक्वेस विश्लेषण और बड़े डेटासेट्स हैंडलिंग में सुदृढ कार्यानुभव एक बड़ी अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा, संक्रमण जीव विज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष

मासिक परिलब्धियां : (I) रुपये 31000 /- एवं एचआरए उन स्कॉलर्स के लिए जो (ए) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - सीएसआईआर - यूजीसी नेट जिसमें लेक्चरशिप (सहायक प्रोफेसरशिप) अथवा गेट शामिल है अथवा (बी) केन्द्र सरकार के विभागों और उनकी एजेंसियों और संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित हैं।

(II) अन्य लोगों के लिए जो उपरोक्त (I) के अंतर्गत नहीं आते रु. 25000/- एवं एचआरए

प्रशासनिक अधिकारी

Project titled: "Phenome India-CSIR health cohort knowledge base".

Project Code: HCP-047

Position: Project Associate-I = 01

Essential Qualification: Master's Degree in Natural or Agriculture Sciences/ MVSc or Bachelor's degree in Engineering or technology or Medicine from a recognized University or equivalent

Desirable: Demonstrable skills in Python/C/C++, awk and R, strong working experience in LINUX environment, sequence analysis and large datasets handling will be a huge plus, knowledge of infection biology is important.

Upper Age limit (years): 35

Monthly Emoluments: (i) Rs. 31,000/- +HRA to Scholars who are selected through (a) National Eligibility Tests- CSIR- UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) or GATE or (b) A selection process through National Level examinations conducted by Central Government departments and their Agencies and Institutions.

(ii) 25,000/- + HRA for others who do not fall under (i) above

ADMINISTRATIVE OFFICER